न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2022

(GCMS 2022/40)(आरटीआई नं. 212050296006702)

मनोहरलाल पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति मेघवाल गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राज. (मोबाईल नम्बर 7696795906)

बनाम

तहसीलदार, राजस्व एवं लोक सूचना अधिकारी, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनोहरलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, राजस्व, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

> राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक खाटसजवार के चक 7 एसडीएस ए व 7 एसडीएस बी तथा 10 एसडीएस व चक 12 एसडीएस ए व बी में कुल कितनी आराजी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की है? तथा [illegible] आराजी पर वर्तमान में कौन–कौन कब्जाधारी किस आधार पर [illegible] हैं? तथा कब से काबिज है? कब्जाधारी का नाम, पिता का नाम, जाति पू[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तथा कब्जे के आधार सहित अतिक्रमण की गई आराजी सहित प्रमाणित सूचना प्रदान करें।

1. उक्त चकों में कौन–कौन कब्जाधारी किस हैसियत से काबिज है? तथा प्रशासन द्वारा उक्त चकों में स्थित कब्जाशुदा आराजी को कब्जा मुक्त करवाने के लिए आजतक क्या–क्या कार्यवाही की है? तथा उक्त चकों में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति की कितनी कब्जाशुदा आराजी को आजतक कब्जा मुक्त करवाया है? इस संबंध में ब्यौरेवार प्रमाणित सूचना प्रदान करें।

3. उक्त चकों में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति की कब्जाशुदा आराजी के संबंध में आजतक प्रशासन द्वारा कितने गैर अनुसूचित जाति के अतिक्रमियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत पुलिस में नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवायी गयी है? आजतक दर्ज करवायी गयी समस्त एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा कितने मुकदमा न्यायालयों में लंबित है, मुकदमा नम्बर, आरोपी का नाम, पता व मुकद्मा की स्टेज सहित प्रमाणित सूचना प्रदान करें।

4. यदि आजतक उक्त चकों में स्थित आराजी के संबंध में कोई एफआईआर किसी गैर अनुसूचित जाति के किसी अतिक्रमी के खिलाफ दर्ज नहीं करवायी गई तो क्यों नही करवायी गई? इसके लिए कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी [illegible] प्रमाणति सूचना प्रदान करें तथा आगामी [illegible] अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? [illegible] में प्रमाणित सूचना प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. यदि आज तक उक्त चकों में स्थित आराजी के संबंध में कोई एफआईआर किसी गैर अनुसूचित जाति के किसी अतिक्रमी के खिलाफ दर्ज नहीं करवायी गई तो आगामी कितने समय में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? इस संबंध मे प्रमाणित सूचना प्रदान करें।
6. आपके कार्यालय के सक्षम प्रथम अपील प्राधिकारी का पद नाम व पते की सूचना प्रदान करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई/भू.अ./22/1023 दिनांक 10.03.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी श्री मनोहर लाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2021 का प्राप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 05 तक चाही गई सूचना काफी लम्बी एवं प्रश्नात्मक प्रकार की है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी को इस कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2021/2924 दिनांक 10.09.2021 एवं पत्र क्रमांक भू.अ./आरटीआई/2021/3966 दिनांक 31.12.2021 भेजकर बिन्दु संख्या 06 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी जबकि बिन्दु संख्या 01 से 05 तक सूचना हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित रिकॉर्ड का अवलोकन कर इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया था, ताकि कार्यालय में उपलब्ध [illegible] जा सके। दोनों पत्रांक के बावजूद प्रार्थी [illegible] नहीं हुआ है तथा ना ही चाहे [illegible] कर तहसीलदार, सादुलशहर को अवगत करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 47/2018 बलराज सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, सादुलशहर में दिनांक 06.08.2018 को दिया गया निर्णय अवलोकन योग्य हैं

''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरें शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिये। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है, उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित रिकॉर्ड प्रश्नात्मक होने, अवलोकन नहीं करने एवं तहसीलदार, सादुलशहर को अवगत नहीं करवाने के कारण सूचना उपलब्ध करवाई जानी सम्भव नहीं हुई है। अपील के संबंध में जवाब तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।

संलग्न : निम्न दस्तावेज अवलोकनार्थ संलग्न है।

1. निर्णय दिनांक 06.08.2018 की चित्रप्रति
2. पत्र क्रमांक 2924 दिनांक 10.08.2021
3. पत्र क्रमांक 3166 दिनांक 31.12.2021

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व)
सादुलशहर

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने उक्तानुसार अपने पत्रांक 1023 दिनांक 10.03.2022 से अपील का जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी से किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि किसी निश्चित दस्तावेज की सूचना चाहे तो उसे रिकॉर्ड का अवलोकन करवा दें एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested